न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2023	01.02.2023	26.02.2024

उनवान

1. प्रेम कुमार पुत्र श्री शांति लाल मडोत (जैन) आयु वयस्क निवासी— बरार जिला राजसमद (राज०) हाल निवासी 5d1, 18 वां कोस किलारी रोड़, सी—16 वो कोस, आर.टी. स्ट्रीट बैंगलोर
2. शांति लाल पुत्र श्री चांदमल मडोत (जैन) आयु वयस्क निवासी बरार जिला राजसमद (राज०) हाल निवासी 5d1 18 वां कोस किलारी रोड़, सी—16 वो कोस, आर.टी. स्ट्रीट बैंगलोर

प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मचन्द पुत्र श्री भंवर लाल जाति नन्दावते आयु वयस्क मिवासी भी रंगपटना तहसील मंडियां जिला मंडिया कर्नाटक
2. शिवनारायण पुत्र श्री लादू लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तह0 करेडा जिला भीलवाडा और (राज.)
3. रेमत लाल पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चावणमिरी चावडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. चतरभुज पुत्र श्री पीथा जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी पीथल पुरा तह0 माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
5. अमरचन्द पुत्र श्री हुकमा जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चावडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज)
6. नाथू पुत्र श्री हुकमा जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चावाडिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (रजि.)
7. पंकज पत्नी श्री प्रीतम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चावणडिया तह0 करेडा जिला भीलवाडा (रजि)
8. सुनील कुमार पुत्र श्री हरलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज)
9. कौशल्या पत्नी श्री अमर सिंह जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हरिपुरा तहसील माण्डल जिला मीलवाडा (रजि.)
10. डाली देवी पत्नी श्री अमर सिंह जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हरिपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज)
11. नारायण लाल पुत्र श्री नन्द लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हरिपुरा तहसील मण्डल जिला भीलवाडा (राज)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12. जमना लाल पुत्र श्री नन्द लाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हरिपुरा, तहसील, माण्डल, जिला भीलवाडा (राज.)

13. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री रामलाल जाति दलाल आयु वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा (राज.)

14. गोतमचन्द पुत्र श्री रामलाल जाति दलाल' आयु वयस्क निवासी चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राम)

15. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा (राज०)

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी हिमांशु ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मलाण प0ह0 भीलवाडा II भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 117 की अभिलिखित आराजियात 223/6 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Shad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मलाण प0ह0 भीलवाड़ा ाा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 117 की अभिलिखित आराजियात 223/6 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा